

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।  
संख्या:-2166 / 1जी- FP/UK/ROAD/9770 /2015 देहरादून: दिनांक: 27 जनवरी, 2016

सेवा में,

अपर सचिव, वन  
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा यमकेश्वर के अन्तर्गत सिलोगी-घनसाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु-1.53 है 0 वन भूमि हस्तान्तरण FP/UK/ROAD/9770 /2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कापी की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक- 2148 दिनांक 27-1-2016 के द्वारा पूर्व में ही भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। (प्रति संलग्न) अतः सहमति की दशा में प्रस्ताव सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,  
*Sejal*

(एस0टी0एस0 लेज्जा)  
प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी

संख्या / 1जी-FP/UK/ROAD/ 9770 /2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
- मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
- वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून।
- अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग / पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- जिलाधिकारी, जनपद-पौड़ी।
- प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडोन वन प्रभाग, कोटद्वार।
- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लैन्सडोन।

(एस0टी0एस0 लेज्जा)  
प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी

## भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)  
परियोजना का नाम:

जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा यमकेश्वर के अन्तर्गत सिलोगी-घनसाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु-1.53 है० वन भूमि हस्तान्तरण FP/UK/ROAD/9770 /2015

- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु देहरादून वन प्रभाग में 1.192 है० सिविल सोयम वन भूमि, 0.338 है० आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 1.530 है० वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपरोक्त वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडोन वन प्रभाग, कोटद्वार तथा वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (एस०टी०एस० लेप्चा भा.व.से.)

प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण

एवं नोडल अधिकारी एवं चेतावनीकरी  
अथवा प्रमुख वन संरक्षक एवं चेतावनीकरी  
दन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून

सरकारी मोहर:

तिथि : 27/01/2015

स्थान : देहरादून